राजस्थान – सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

क्रमांक / राजस्व / 2025 / 643 दिनांक :– 11.09.25

आदेश

श्रीमान शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज.–6 / 2003 / पार्ट दिनांक 10.08.2016 एवं प.3(17)राज.–6 / 2021 / पार्ट / 91 दिनांक 30.09.2021 के अनुसरण में प्रदत्त दिशा–निर्देशों एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा" में चालू, सनातन, कदीमी एवं स्थाई रास्तों के राजस्व रिकाण्र्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती करवाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के अधीन तहसीलदार लूणी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक / भू. अ. / 2025 / 1954 दिनांक 02.07.2025 के संलग्न प्रेषित सूची अनुसार प्रारूप में रास्ते हेतु राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	नाम पटवार मण्डल	नाम राजस्व ग्राम	प्रभावित होने वाले खसरों की संख्या	प्रभावित होने वाले निम्नानुसार खसरे	खसरे मे से प्रभावित होने वाला रकबा हेक्टयर
1	2	3	4	5	6
1.	धांधीया	देवपुरा	1	249	0.1920
2.	धांधीया	देवपुरा	1	251	0.2960
3.	धांधीया	देवपुरा	1	244	0.2464
4.	धांधीया	देवपुरा	1	253 / 4	0.1344
5.	धांधीया	देवपुरा	1	253 / 6	0.0160

उक्त प्रस्तावित भूमि का पृथक से खसरा नम्बर कायम कर किस्म "गैर मुमकिन रास्ता" दर्ज की जायेगी, किन्तु भूमि निजी खातेदारी में होने की सूरत में पूर्ववत निजी खातेदारी में रहेगी तथा नक्शे में रास्ते की भूमि का लाल स्याही से अंकन किया जावें। उक्त कार्यवाही नामान्तरकरण प्रक्रिया के जरिये संपादित की जाकर तहसीलदार लूणी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। प्रस्तावों के संलग्न तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित प्रस्तावित नक्शे इस आदेश के अभिन्न अंग रहेगे।

संलग्न :– प्रपत्र व नक्शा ट्रेस।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी लूणी

जिला – जोधपुर

क्रमांक / राजस्व / 2025 / 644 – 646 दिनांक :– 11.9.2025.

प्रेषित :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. तहसीलदार लूणी को पालनार्थ प्रेषित है।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी

उपखण्ड अधिकारी लूणी

जिला – जोधपुर